तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **प्रार्थना पत्र/टीए/5454/2005/अलवर** **हरीराम के का.मु. राजकुमार व अन्य बनाम दीपचन्द व अन्य**	
19-9-19	**एकल–पीठ** **श्री सतीश चन्द्र गोदारा, सदस्य** **उपस्थितः–** (1) श्री अयूब खान अभिभाषक प्रार्थी (2) श्री एस.पी.सिंह अभिभाषक अप्रार्थी **निर्णय दिनांक : 19.9.19** यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत सहायक कलेक्टर बानसूर के आदेश दिनांक 26–8–96 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं। 2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक कलेक्टर बानसूर कैम्प बहरोड ने आदेश दिनांक 26–8–96 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 दीपचन्द को मूल वाद में पक्षकार बनाये जाने के आदेश पारित किये जिसके विरुद्ध प्रार्थी हरीराम ने राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। मण्डल की एकल पीठ ने अपने निर्णय दिनांक 29–1–02 के द्वारा निगरानी स्वीकार कर सहायक कलेक्टर बानसूर के आदेश दिनांक 26–8–96 को निरस्त कर दिया। इसके विरुद्ध अप्रार्थी दीपचन्द ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एस बी सिविल रिट पिटीशन संख्या2040/02 पेश की जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने मण्डल के निर्णय दिनांक 29–1–02को निरस्त कर प्रकरण पुनः निर्णय पारित करने हेतु मण्डल को प्रतिप्रेषित किया। इस प्रकार प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर कर उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। 3– प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **प्रार्थना पत्र/टीए/5454/2005/अलवर** **हरीराम के का.मु. राजकुमार व अन्य बनाम दीपचन्द व अन्य**	

बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी के वियद्ध धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाती रही है। उसकी हैसियत एक अतिक्रमी की है इसलिये उक्त प्रकरण में अप्रार्थी का कोई लोकस नहीं होने से वह प्रभावित पक्षकार नहीं है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश निरस्त किया जावे।

5- जबाब में अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस बताया कि प्रकरण में अप्रार्थी का हित निहित मानते हुये उसे पक्षकार बनाया गया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि कारित नहीं की गई है और कथन किया कि विवादित आराजी पर 35वर्षो से उनका कब्जा चला आ रहा है और पिता की मृत्यु के बाद लगातार मेरा कब्जा चला आ रहा है। इसलिये निगरानी खारिज की जावे।

6- हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7- विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जो आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाब्ता दीवानी बाबत बनाये जाने पक्षकार प्रस्तुत किया है उसके अनुसार वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थी का प्रत्यक्ष रूप से हित निहित है। प्रकरण में अप्रार्थी का हित निहित मानते हुये उसे पक्षकार बनाया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2017(सप्ली.) सिविल कोर्ट केसेज756 पंकजभाई,रमेश भाई जलावडिया बनाम जेठा भाई,काला भाई जलावडिया में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि-

Civil Procedure Code, 1908, O.1 R.10 : Impleading of a party- Court has can add any person as a party at any stage of the

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
	प्रार्थना पत्र/टीए/5454/2005/अलवर **हरीराम के का.मु. राजकुमार व अन्य बनाम दीपचन्द व अन्य**	

proceedings, if the person whose presence is necessary in order to enable the Court to effectively and completely adjudicate upon and settle all the questions involved in the suit - Avoidance of multiplicity of proceedings is also one of the objects of the said provision.

Civil Procedure Code, 1908, O.1 R.19 - Impleading of a party- Court has wide discretion to deal with a situation which may result in prejudicing the interests of the affected party if not impleaded in the suit, and where the impleadment of said party is necessary and vital for the decision of suit.

प्रकरण की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी संख्या 1 को पक्षकार बनाने के जो आदेश पारित किया हैं उसमें हम निगरानी के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अप्रार्थी को पक्षकार बनाने से प्रार्थी हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है। पक्षकारान द्वारा अपना अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रखने पर ही स्थिति साफ हो सकती है और न्यायालय को सही नतीजे पर पहुंचने में भी सुविधा होगी। निगरानी का दायरा सीमित होता है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश में निगरानी के स्तर पर तभी हस्तक्षेप किया जा सकता है जबकि क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि की गई हो अथवा विधि की व्याख्या करने में भूल की गई हो।

8- उपरोक्त विवेचन,विश्लेषण एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सतीश चन्द्र गोदारा)
सदस्य